

# वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय , जौनपुर

प्रेषक—

परीक्षा नियंत्रक,  
वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय,  
जौनपुर



पत्रांक 1130/गोपनीय/2026

दिनांक : 19.05.2026

## कार्यालय ज्ञाप

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर विश्वविद्यालय परिसर एवं इससे सम्बद्ध महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि एन0ई0पी0-2020 के अन्तर्गत सत्र 2025-26 स्नातकोत्तर (एम.ए.,एम.एस.सी.,एम.काम.) द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के छात्रों द्वारा तैयार किए गये Dissertation (लघु शोध प्रबन्ध) का मूल्यांकन निम्नवत सम्पन्न कराया जायेगा।

मा0 कुलपति जी के आदेशानुसार स्नातकोत्तर (एम.ए.,एम.एस.सी.,एम.काम.) अन्तिम सेमेस्टर के लघु शोध प्रबन्ध (Dissertation) का मूल्यांकन उस विषय के प्रायोगिक/मौखिकी परीक्षा हेतु नामित वाह्य परीक्षकों से मूल्यांकन सम्पन्न कराया जायेगा। जिन विषयों के द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में प्रायोगिक परीक्षा नहीं है उन विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा अलग से वाह्य परीक्षक नामित किया जायेगा। लघु शोध प्रबन्ध (Dissertation) के मूल्यांकन हेतु वाह्य परीक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान स्नातकोत्तर स्तर के प्रायोगिकी/मौखिकी परीक्षा हेतु देय पारिश्रमिक की भाँति भुगतान किया जायेगा।

सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यांकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाह्य परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 (75 शोध प्रबन्ध +25शोध पत्र) अंकों में से किया जायेगा। यदि किसी विद्यार्थी ने अपनी इस शोध परियोजना में से पेटेन्ट प्रकाशन अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान प्रकाशित कराया है तो उसे 25 अंक पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) पर देय होंगे। दो राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार/संगोष्ठी में पेपर प्रजेन्ट करने पर भी 25 अंक देय होंगे। पेटेन्ट/शोध पत्र/बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाईजर तथा कई विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से कराने पर भी मान्य होगा। पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) न होने पर प्राप्तांक अधिकतम 75 अंक में ही देय होंगे।

सभी सम्बन्धित महाविद्यालय/संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष कृपया उक्त का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

डॉ0 (विनोद कुमार सिंह)  
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
2. वित्तअधिकारी/कुलसचिव/उप कुलसचिव/प्रशा.अधिकारी गोपनीय/परीक्षा/अतिगोपनीय।
3. समस्त निदेशक/संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय परिसर।
4. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त महाविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।
5. मीडिया प्रभारी, विश्वविद्यालय परिसर को समस्त समाचार पत्रों में जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
6. प्रभारी वेबसाइट, विश्वविद्यालय परिसर।
7. प्रभारी, परीक्षा परिणाम एजेन्सी को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

परीक्षा नियंत्रक